सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राम सुख गुर्जर **RAS**

राजस्व वाद संख्या 44 / 2017 (2017 / 00072)

वादी

1. ईश्वरराम पुत्र नाथूराम उम्र 47 वर्ष
2. हरिराम पुत्र नाथूराम उम्र 36 वर्ष
3. राजूराम पुत्र नाथूराम उम्र 34 वर्ष
4. पूरणमल पुत्र नाथूराम उम्र 32 वर्ष
5. मेघा देवी पत्नी नाथूराम उम्र 65 वर्ष जाति समस्त मेघवंशी निवासीयान ग्राम मांगलोदी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. पेमाराम पुत्र हीराराम
2. मोतीराम पुत्र हीराराम
3. नारायणराम पुत्र घीसाराम
4. अर्जुनराम पुत्र घासीराम जाति जाट निवासीगण मांगलोदी तहसील कुचामनसिटी
5. नारायणराम पुत्र गोपालराम
6. गोरधनराम पुत्र गोपालराम
7. सुगनीदेवी पुत्री नाथूराम
8. छोटीदेवी पुत्री नाथूराम
9. कमलादेवी पुत्री नाथूराम
10. राधादेवी पुत्री नाथूराम जाति समस्त मेघवंशी निवासीगण मांगलोदी तह. कुचामनसिटी
11. मैनेजर जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा मीठड़ी तहसील नावां
12. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

दावा :–इस्तकरार हक व भू–विभाजन बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53 R.T.Act 1955

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर वादीगण की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 28/02/2018

तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राथमिक डिक्री की पालना प्राप्त होने पर पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने बहस सुनाते हुये कथन किया कि खसरा नम्बर 141 में 0.30 है0 रास्ता हेतु प्राथमिक रिपोर्ट में आई है जिससे हम पक्षकारान सहमत है इसलिये प्राथमिक रिपोर्ट (बंटवारा स्कीम) तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त हो गई है। निवेदन है कि माफिक प्राथमिक डिक्री के अनुसार अन्तिम डिक्री सादिर फरमाई जावें।

पत्रावली के अवलोकन से दिनांक 14.11.2017 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम (मौका रिपोर्ट) मंगवाई गई। तहसीलदार कुचामनसिटी ने पत्रांक भू.अ. / 192 दिनांक 12.02.2018 के द्वारा बंटवारा स्कीम तैयार कर भिजवाई, में कास्तकारों की सहमती से रास्ता अपनी खातेदारी खेत मे जाने हेतु

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

बताया है इसलिये प्राथमिक रिपोर्ट (बंटवारा स्कीम) स्वीकार कर, शामिल मिसल की गई। वकील वादी ने बहस सुनाई, बहस सुनाते हुये कथन किया कि प्रत्रावली में तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम प्राप्त हो चुकी है माफिक बंटवारा के अंतिम डिक्री आदेश फरमावें।

वकील वादी की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.11.2017 एवं संलग्न मौका बंटवारा स्कीम का अवलोकन एवं मनन करने पर न्यायालय का मत है कि बंटवारा स्कीम रिपोर्ट प्राप्त होने पर वादी का वाद काबिल अन्तिम डिक्री पाये जाने से निम्न प्रकार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

ग्राम मांगलोदी अनुसार खसरा नम्बर 140, 141, 179, 180, 181 कुल रकबा 5.58 मे खसरा नम्बर 141 रकबा 4.65 हैक्टर मे से 3.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 140 रकबा 0.02 है0 वादी ईश्वर राम, हरीराम, राजूराम, पूर्णमल पिता नाथूराम, मेघा देवी पत्नी नाथूराम को व 1.28 है0 का प्रतिवादी नारायणराम, गोरधनराम पुत्र गोपालराम को खातेदार काश्तकार व शेष रकबा 0.30 है0 वादी ईश्वर राम, हरीराम, राजूराम, पूर्णमल पिता नाथूराम, मेघादेवी पत्नी नाथूराम व प्रतिवादी नारायणराम, गोरधनराम पुत्र गोपालराम जाति मेघवाल 0.16 है0 व पेमाराम, मोतीराम पुत्र हीराराम व नारायणराम , अर्जुनराम पुत्र घीसाराम जाति जाट का 0.14 है0 कुल 0.30 है0 गैर मुमकिन रास्ता का व खसरा नम्बर 179 रकबा 0.72 हैक्टर खसरा नम्बर 180 रकबा 0.02 हैक्टर खसरा नम्बर 181 रकबा 0.17 हैक्टर में प्रतिवादी पेमाराम पुत्र हीराराम को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी मोतीराम पुत्र हीराराम को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी नारायणराम, अर्जुनराम पुत्र घीसाराम को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। बंटवारा स्कीम दिनाक 16.01.2018 निर्णय का भाग रहेगी। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल किया जावें। बंटवारा स्टाम्प ड्युटी प्राप्त होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 28/02/2018 को सुनाया गया।

(रामसुख गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी(नागौर)